

सत्र 2018-19 मे किये जाने वाले मूलभूत परिवर्तन

1. सत्र 2017-18 के केवल सफल भुगतान किये गये विद्यार्थियों का कक्षा एवं शैक्षणिक सत्र को 1 वर्ष उन्नयन कर सत्र 2018-19 के लिए उपयोग किया गया है ।
2. जो विद्यार्थी शाला मे नहीं है उसे निरस्त करने हेतु प्रावधान दिया गया है ।
3. विद्यार्थियों को एक शाला से दूसरे शाला मे परिवर्तित करने हेतु प्रावधान दिया गया है ।
4. शाला मे जितने विद्यार्थी पंजीकृत हैं, सभी को सुधारने हेतु प्रावधान दिया गया है ।
5. एक ही बैंक खाता एक से अधिक विद्यार्थियों के पंजीयन में नहीं लिया जाएगा । खाता विद्यार्थी के नाम पर या विद्यार्थी के पिता / माता के नाम पर ही होना चाहिए।
6. सत्र 2017-18 से सत्र 2018-19 मे लाये गए सभी विद्यार्थियों के पंजीयन सुधार हेतु फॉर्म मे केवल ड्यूप्लिकेट खाता वाले विद्यार्थियों का ही खाता सुधार किया जायेगा ।
7. विद्यार्थी का शाला परिवर्तन करने हेतु विद्यार्थी पहले जिस शाला में था उस शाला से निरस्त किया जाएगा और उसके पश्चात विद्यार्थी जिस शाला मे जाएगा, वह शाला उस विद्यार्थी का शाला परिवर्तन करेगा ।
8. कक्षा 1ली, 3री, 6वी, 9वी एवं 11वी के विद्यार्थियों का नया पंजीयन हेतु प्रावधान दिया गया है ।
9. सत्र 2017-18 मे कक्षा 9वी एवं 10वी के अनुत्तीर्ण हुये विद्यार्थियों को अनुत्तीर्ण मार्क करने हेतु प्रावधान दिया गया है ।
10. कक्षा 9-10वी मे SC जाति एवं कक्षा 1ली-10वी अस्वच्छ धंधा छात्रवृत्ति मे सत्र 2018-19 के अनुसार Norms मे संशोधन हुआ है, सभी 9-10वी SC विद्यार्थियों एवं कक्षा 1ली-10वी अस्वच्छ धंधा छात्रवृत्ति के पात्र विद्यार्थियों मे Norms के अनुसार संशोधन अनिवार्य है ।
11. सत्र 2017-18 की तरह सत्र 2018-19 मे सारांश प्रतिवेदन (प्रपत्र -ब) की प्रविष्टि एवं अपलोड करने हेतु अनिवार्य प्रावधान दिया गया है ।

12. शाला एवं ब्लॉक लॉगिन मे भुगतान के लिए DEO को प्रेषित करने हेतु प्रावधान दिया गया है ।
13. DEO लॉगिन मे भुगतान के लिए DPI को प्रेषित करने हेतु प्रावधान दिया गया है ।
14. सभी DEO, BEO एवं शाला का लॉगिन OTP के आधार पर ही किया जायेगा ।